पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 257/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 21.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना अहरौला: थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत युवती की हुयी हत्या की घटना का 48 घण्टे में सफल अनावरण, हत्यारोपी पुलिस मुठभेंड मे घायल/गिरफ्तार; अवैध तमन्चा कारतूस, खोखा करातूस, मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक- 19.08.2024 को वादी मुकदमा मिठाईलाल यादव पुत्र स्व० कुनमुन यादव ग्राम अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर सूचना दी गयी कि वादी की लड़की का आज सुबह गांव मे ही शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर **थानाध्यक्ष अहरौला मय हमराह** पहुचे तथा **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन** द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अहरौला को निर्देशित किया गया।

➡ जिसके क्रम में वादी मुकदमा मिठाईलाल यादव पुत्र स्व० कुनमुन यादव ग्राम अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि वादी की पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 366/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर थानाध्यक्ष अहरौला द्वारा विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त अमित यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.08.2024 को थानाध्यक्ष अहरौला मनीष पाल को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त स्पेलेडर मोटर साइकिल से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौला मय हमराह महलिया (पश्चिम पट्टी-दुर्वासा मार्ग) के पास पहुंच कर अभियुक्त का इंतराज कर रहे थे कि स्पेलेन्डर मोटर साइकिल से 01 व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया मोटर साइकिल सवार पुलिस बल को देखकर मोटर साइकिल से भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गया तथा मोटर साइकिल छोडकर भागने लगा। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त का पिछाकर घेरने का प्रयास किया गया तथा अभियुक्त अपने आप को पुलिस बल से घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से अपने अवैध असलहे से फायरिंग किया। आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के बाये पैर में गोली लगी जिसे समय करीब 05:40 बजे हिरासत में लिया गया।

➡ घायल अभियुक्त की पहचान अमित यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के रुप में हुयी जिसे इलाज हेतु CHC अहरौला ले जाया गया।

➡ अभियुक्त के पास से 01 देशी तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, मोबाइल फोन व मोटर साइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 A. Act पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

घायल/गिरफ्तार बदमाश ने बताया कि वह मृतका से प्रेम करता था तथा दोनों लोग काफी दिन से बात-चीत कर रहे थे। अभियुक्त की शादी होने के बाद मृतका अभियुक्त को छोडना चाहती थी तथा अभियुक्त मृतका को शादी करने के लिये मना रहा था। मृतका के नही मानने पर दिनांक 18/19.08.2024 की रात्रि 09.00 बजे अभियुक्त मृतका के घर के बाहर पहुंचा उसको मिलने के लिये बुलाया। कुछ समय बाद मृतका घर से बाहर आयी और उसको खेत की तरफ ले जाकर पूछा की तुम क्यो किसी और से बात करती हो, तो मृतका झूठ बोलने लगी। इसी बात को दोनों के बीच कहासूनी हुयी और मृतका ने अभियुक्त के उपर हाथ छोड दिया और अभियुक्त ने मृतका के गले मे लिपटे हुये दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दिया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 368/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 A. Act थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

घायल/गिरफ्तार बदमाश– अमित यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी– 01 देशी तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, मोबाइल फोन मोटर साइकिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मनीष पाल, हे0का0 रामकृष्ण यादव, हे0का0 राकेश कुमार सिंह , का0 नागेन्द्र कुमार, का0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना अहरौला आजमगढ़।